Multi Tasking Staff

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L.-(N)04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, जनवरी 23—जनवरी 29, 2011, शनिवार/माघ 3—माघ 9, 1932
No. 5] NEW DELHI, JANUARY 23—JANUARY 29, 2011, SATURDAY/MAGHA 3—MAGHA 9, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 51.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में, बहु कार्य कर्मचारिवृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (बहु कार्य कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for promotion or confirmation : 1. Joint Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion —Chairman 2. Deputy Secretary/Director (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion —Member 3. Deputy Secretary/Director (Data Unit), Department of Industrial Policy and Promotion —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary when an officer is in the field of consideration for appointment on absorption basis.

[No. A-12018/1/2007-E. 1]

L. K. SHARMA, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 55.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रचालन संस्थान, भर्ती नियम, वर्ग 3 और वर्ग 4 भर्ती नियम, 1968 को, जहां तक उनका संबंध सफाई वाला और केन्द्रीय मात्स्यिकी, नौचालन एवं इंजीनियरी संस्थान के समूह घ पदों के भर्ती नियम, 1989 के पदों से है, जहां तक उनका संबंध चपरासी, दफ्तरी, परिचर, बस क्लीनर, चौकीदार और माली के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची, मल्टी टास्किंग स्टाफ (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, उसके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वह होगा, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मल्टी टास्किंग स्टाफ	*37 (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष तक। **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2** : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान * उत्तीर्ण। *वांछनीय : निम्नलिखित पदों के लिए संगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव :	लागू नहीं होता	दो वर्ष

148 GI/11-6

(8)
(i) माली का एक पद : माली के रूप में एक वर्ष का अनुभव । (ii) चौकीदार के आठ पद : चौकीदार अथवा सुरक्षा सेवक के रूप में एक वर्ष का अनुभव ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. निदेशक, केन्द्रीय मत्स्यिकी नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची —अध्यक्ष 2. उप निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई —सदस्य 3. उप निदेशक, केन्द्रीय मत्स्यिकी नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, विशाखापत्तनम —सदस्य 4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य 5. वर्ग "क" का एक अधिकारी जिसके अधीन वर्ग "ग" का कर्मचारी कार्य कर रहा है —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 3-43/2010-मत्स्य प्रशासन]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 19th January, 2011

G.S.R. 55.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries Operatives (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to the post of Sweeper and Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training Group D posts Recruitment Rules, 1989, in so far they relate to the posts of Peon, Daftry, Attender, Bus Cleaner, Watchman and Gardener, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Multi Tasking Staff (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, Classification and Pay Band, Grade Pay or Pay Scale.—The number of post, its classification and pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, a... qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in th... regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Multi Tasking Staff	37* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs.5200-20200 + Grade Pay of Rs. 1800	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India but not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2 : In the case of recruitment made through

		(7)
		the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit, in each case, shall be last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent OR Industrial Training Institute pass*. ***Desirable :** One year experience in the relevant field for the following posts : (i) One post of Gardener : One year experience as gardener. (ii) Eight posts of Watchman : One year experience as Watchman or security service.	Not applicable	Two years

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorptions and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
By direct recruitment.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Director, Central Institute of Fisheries, Nautical Engineering and Training —Chairman 2. Deputy Director, Central Institute of Fisheries, Engineering and Training, Chennai —Member 3. Deputy Director, Central Institute of Fisheries, Engineering and Training, Visakhapatnam —Member 4. Senior Administrative Officer, Central Institute of Fisheries, Nautical Engineering and Training —Member 5. A Group 'A' Officer under whom the Group 'C' is working —Member	Not applicable.

[F. No. 3-43/2010-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.